

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Yugal Kishor Pant I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Kirtinagar** Block area measuring **0.8225** Hectare for the construction of **Nandi- Sailsain-Mathurgaun Motor Road** in Tehsil **Devprayag** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

Dr- 12/03/2015

District Collector Cum chairman

(युगल किशोर पन्त)

District Tehri Garhwal

New Tehri

FORM - I
(For linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Tehri Garhwal

No.

Dated ...12/03/2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.8225 hact.** of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Works Department , Kirtiagar for Construction of Nandi-Sailsain-Mathurgaun Motor Road in Tehri Garhwal District** falls within jurisdiction of **Mathurgaun Villages in Devprayag tehsils.**

It is further certified that:

- a) the complete process for identification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **0.8225 hact.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure **23** to annexure **23.2**
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
- c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(युगल किशोर पन्त)
(Yugal Kishore Pant)
जिलाधिकारी
District Collector
टीहरी गढ़वाल

It is further certified that – Minutes of meeting of Nandi-Sailsain-Mathurgaun Motor Road (2.00 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.8225 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य

टिहरी गढ़वाल

जिला पंचायत सदस्य

जिला समाज कल्याण अधिकारी

टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

नरेश्वर प्रसाद वर्मा प्रभागा

पनि की-रेती

मुनि की रेती(टिहरी गढ़वाल)

Signature

(युगल किशोर पन्त)
(Yugal Kishor Pant)

टिहरी गढ़वाल

12-03-2015

प्रारूप -1.90,
भू-अर्जन प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम-
तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड कीर्तिनगर में नाण्डी-सैलसेण-मठूरगाँव मोटर मार्ग का नव निर्माण (किमी०-2.00) हेतु पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्वीकृति संदर्भ: 288/लो०नि०-2/04-15(प्रा०आ०)/2004 दिनांक 27 फरवरी 2004

जनपद टिहरी गढ़वाल में विकासखण्ड-कीर्तिनगर के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड कीर्तिनगर में नाण्डी-सैलसेण-मठूरगाँव मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।
 प्रखण्ड टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड कीर्तिनगर में नाण्डी-सैलसेण-मठूरगाँव मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिए 0.7175 है० आरक्षित वन भूमि, 0.105 है० सिविल सोयम वन भूमि, 0.000 है० वन पंचायत भूमि, (अर्थात् कुल-0.8225 है०) का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग-श्रीनगर, मुख्यालय-कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकि नाप भूमि 0.5775 है० ग्राम पंचायत-चौकी के काश्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है। कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित काश्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोक्ता एजन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।

ह०/-
 (युगल किशोर पुन्त)
 जिलाधिकारी
 टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम:- नाण्डी सैलसेण मधूर गाँव मोटर मार्ग

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत - नाण्डी सैलसेण मधूरगाँव मोटर मार्ग, मे'
(07/175 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.105 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि — हे० वन पंचायत भूमि,
अर्थात् कुल 0.8225 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में
हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की
मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-डेवप्रयाग) की दिनांक 22/11/2015
को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री <u>दीपेन्द्र सिंह नेगी</u>	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री <u>अदीप कुमार</u>	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री <u>रंजित सिंह वर्तन</u>	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4-	श्री <u>शिवेन्द्र सिंह</u>	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि
मोटर मार्ग के नाण्डी सैलसेण मधूरगाँव मोटर मार्ग परियोजना हेतु 0.8225 हे० वन भूमि
लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव
माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं
है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राग रागा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक
उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी उप वन प्रभाग देवप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मानीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कीर्ति-नगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत रावी सेलसेन गड्डरगाँव मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.8225 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्ति-नगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील - देवप्रयाग

जनपद रिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

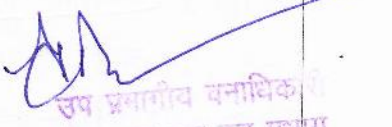
तहसील - देवप्रयाग

जनपद रिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम - नापी-सलसेन बहुर गाँव जोरर गाँव,

24/04/2015

दिनांक ~~24/04/2015~~ उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
जनपद- टिहरी गढ़वाल

1	श्री गोपेन्द्र सिंह नेगी	उपजिलाधिकारी	आयुक्त	  उप प्रभागीय वनाधिकारी देवादास उप वन प्रभाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती
2	श्री प्रदीप कुमार	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
3	श्री लोबित सिंह वर्मा	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	
4	श्री रविन्द्र सिंह	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य	

क्षेत्र प्रमुख
 रविन्द्र सिंह
 रविन्द्र सिंह सिंह

परियोजना का नाम:- नाडी-सेलसेण-अदूर ग्रॉव मोटर मार्ग,

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - पाव, चौकी
तहसील देवप्रयाग जिला - टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड कीर्तिनगर में नाडी-सेलसेण मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.7175 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.105 हे० सिविल सोयम भूमि - हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.8225 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पाव, चौकी द्वारा दिनांक 20/01/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सेलसेण के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

नोट

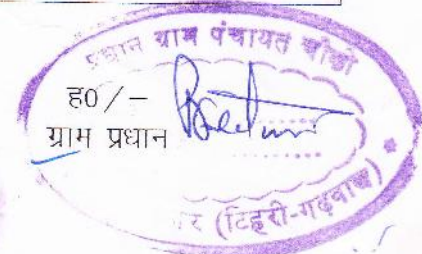
यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रामाण्य कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



दिनांक 20/01/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम - खेलसैण ग्राम पंचायत पाव, चौकी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	विपिन कोठारी	— Vipin
②	सुनील	— Sunil
③	राजेश	— Rajesh
④	राजेश्वरी देवी -	— Rajeshwari
⑤	दीपक	— Deepak
⑥	प्रीतम	— Preetam
	देवेन्द्र क	— Devendra
	राजेश	— Rajesh
	अरविन्द कोठारी	— Arvind
	हिमाशु	— Himashu
	पुष्प	— Pushp
	विष्णुराम कोठारी	— Vishnuram
	हृषीकेश	— Hrishikesh
	पंकज लखड़ा	— Pankaj
	मित्रानन्द	— Mitranand
	शुश्री सिंह	— Shushri
	प्रेम सिंह	— Prem
	वन्दन सिंह	— Vandana
	जिलोक सिंह	— Jilok
	पूरा सिंह	— Pura
	नारायण सिंह	— Narayan
	कुशाल सिंह	— Kushal



परियोजना का नाम:- नाण्डी सेलसेन-महूरगाँव मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- माव चौकी तल्यामडल
तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड कीर्तिनगर में नाण्डी सेलसेन मोटर मार्ग के परियोजना के निर्माण हेतु (0.7175 आरक्षित वन भूमि, 0.105 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.8225 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तल्यामडल द्वारा दिनांक 21.01.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तल्यामडल (महूरगाँव) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव तल्यामडल

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उक्त का विवरण

उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



दिनांक 21.01.2015

को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम-महरगाँव

ग्राम पंचायत

तल्यामोडल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	शुक्ल सिंह सहाई	
②	बल्लभ सिंह बल्लभ	बल्लभ सिंह
③	सुगिता देवी सुहाई	सुगिता देवी
④	प्रभाकर प्रसाद	प्रभाकर प्रसाद
⑤	सुसजना देवी	सुसजना देवी
⑥	रविश सिंह	रविश सिंह
⑦	माधवदेव कल मखेडा	माधवदेव
⑧	राजेश प्रसाद मखेडा सैदा	राजेश प्रसाद
⑨	रमेश चन्द मखेडा	रमेश चन्द
⑩	उदय सिंह सुहाई	उदय सिंह
⑪	माधव सिंह	माधव सिंह
⑫	विष्णुराज मोन्देडा	विष्णुराज
⑬	एन मणी	एन मणी
⑭	प्रमोद मखेडा	प्रमोद
⑮	प्रमोद मखेडा	प्रमोद
⑯	मन्मथ मिश्रा मखेडा	मन्मथ मिश्रा
⑰	मन्मथ मखेडा	मन्मथ
⑱	मन्मथ सिंह	मन्मथ सिंह
⑲	उदय सिंह	उदय सिंह
⑳	गणेश सिंह	गणेश सिंह
㉑	प्रदीप सिंह	प्रदीप सिंह

(प्रदीप सिंह)
ग्राम पंचायत तल्यामोडल
दिनांक 21-1-2015



प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम मठूरगांव ग्राम पंचायत तल्यामण्डल विकास

खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत आता है।

प्रमाणित प्रतिनिधि

Chavhan
(गीरेन्द्र चौहान) 2017

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत तल्यामण्डल
पि० ख० कीर्तिनगर (पि० ग०)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम सेलसैण ग्राम पंचायत चौकी विकास खण्ड

कीर्तिनगर के अन्तर्गत आता है।

प्रमाणित प्रतिलिपि

(चौकी चौकी) 26/2/2017
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत चौकी
पि० ख० कीर्तिनगर (पि० ग०)